पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 364/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 16.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना पवईः हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास

अवगत कराना है कि दिनांक 05.12.2024 को वादी प्रशान्त यादव पुत्र रमाशंकर निवासी सरायपुल थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 05.12.24 को विपक्षी विरेन्द्र पुत्र घुरवीन , अंकित पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम सरायपुल थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा मिल कर दुकान के अन्दर रात्रि में मेरे पिता रमाशंकर यादव पुत्र वंशराज यादव की हत्या कर दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 370/24 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस बनाम उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 16.12.2024 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र घुरबीन यादव निवासी सरायपुल थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष को बागबहार पुलिया के पास से समय 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे पड़ोस के रहने वाले रमाशंकर यादव पुत्र स्व0 वंशराज यादव जो पाँच भाई है बड़ा परिवार है जिसके नाते वह लोग मेरे परिवार को हमेशा दबाते चले आये है मेरे पिता जी भी अकेले थे और मै भी अकेला था जो इनलोगो के आधे के हिस्सेदार था लेकिन यह लोग कई जगहो पर जमीन बराबर न देकर अधिक जमीन कब्जा किये हुए थे जहा भी हमलोग जमीन वगैरह लेते थे वहा पर कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न करते थे और मुकदमा करके हमलोगो को परेशान करते थे मेरे घर से सड़क पर जाने वाले रास्ते में दाहिने तरफ मेरा खेत था जिसपर भी खेत भी काफी दिन तक कब्जा किये रहे जब हमारे लड़के बडे हुए तब वह खेत छोड़े तथा वर्ष 2023 में मैने सन्तोष यादव पुत्र रामअजोर यादव आदि से घर के बगल में करीब 2 बिस्सा जमीन बैनामा कराया था जिसपर आधे में कब्जा हमलोगो का था आधा मेरे विपक्षी रमाशंकर आदि कब्जा किये थे जिसपर हमलोग कब्जा करने के लिए गये तो इनलोगो ने कब्जा नही करने दिये तथा मेरी माँ इनरदेई को भी इनलोगो ने भी मारा पिटा था जिसके कारण मेरी माँ चारपाई पर लगभग 6 माह तक पड़ी रही मै काफी परेशान था, जिससे यह घटना मेरे द्वारा कृत्य हो गया।

02.थाना- जीयनपुरः चोरी गये मोबाइल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 23.06.2024 को वादी मुकदमा रामसुधार पुत्र स्व0जगधारी निवासी ग्राम भरौली इब्राहिमपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 20/06/24 को वादी चिरैयाकोट से काम करके वापस अपने घर आ रहा था कि ग्राम शेखमौली करतारपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियो से कहा सुनी हो गयी उसके बाद वादी अपने घर चला आया है कि मेरी मोबाइल ओपो कम्पनी की थी, सन्देह है कि उन लोगो द्वारा ही ले लिया गया के सम्बन्ध मे दाखिल किये की प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 295/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 सुभाष तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।विवेचना के क्रम मे।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 16.12.2024 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू गौड पुत्र फूलचन्द गौड़ निवासी सपनहर रूद्रपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता गालिबपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को चोरी गये एक ओप्पो मोबाइल के साथ गालिबपुर पान की दुकान से समय 10.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है।

03.थाना सरायमीर: अवैध तमन्चा व जिन्दा कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक- 16.12.2024 को उ0नि0 अखिलेश यादव, उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान नन्दाव से इसरौली के पास से एक व्यक्ति रिंकू माली पुत्र शमशेर माली निवासी ठेकमा बाजार थाना बरदह जिला आजमग उम्र करीब 36 वर्ष को एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर को समय करीब 01.35 बजे इसरौली मोड़ से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना सरायमीर पर मु0अ0स0 649/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं01735/2021 धारा 392/411/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट
2. मु0अ0सं0034/2016 धारा 41/411/413/415 भादवि व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गम्भीरपुर
3. मु0अ0सं0 416/2010 धारा 304 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 477/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ़
5. मु0अ0सं0116/12 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बरदह आजमगढ़

6 मु0अ0सं0118/12 धारा 224 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
7 मु0अ0सं032/2014 धारा 174ए भादवि थाना बरदह आजमगढ़
8. मु0अ0सं014/14 धारा 457/380 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 102/14 धारा 380 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
10 मु0अ0सं0170/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ़
11 मु0अ0सं0.41/14 धारा 380/457 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
12. मु0अ0सं0 16/14 धारा 380/457 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
13 मु0अ0सं0100/14 धारा 380/457 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
14 मु0अ0सं0 .143/14 धारा 3(1)उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना मेहनगर आजमगढ़
15 मु0अ0सं0 100/2005 धारा 380/457 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
16 मु0अ0सं0 201/2008 धारा 41/411 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
17. मु0अ0सं0 215/13 धारा 110 जी थाना बरदह आजमगढ़
18. मु0अ0सं0 86/14 धारा 380/457/411 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
19. मु0अ0सं0 1005/10 धारा 380/457/411 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
20 मु0अ0सं01006/10 धारा 379/411 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
21. मु0अ0सं0362/2024 धारा 380/457 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
22. मु0अ0सं0477/10 धारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ़
23. मु0अ0सं0559/10 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना बरदह आजमगढ़
25 मु0अ0सं0 253/19 धारा 60 आबकारी अधि0 एक्ट थाना बरदह आजमगढ़
26. मु0अ0स0 649/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

04.थाना- कप्तानगंजः शादी का झांसा देकर दुराचार करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक- 27.08.24 को वादी मुकदमा थाना कप्तानगंज आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि आरोपी बेचू राजभर पुत्र घुरबीन राजभर द्वारा वादी की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा अभियुक्त के घर पर पूछने पर आरोपी के घर वालो द्वारा गाली गलौज देने व मारने पीटने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 270/24 धारा- 87/137(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत हुआ।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना विवेचना थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द द्वारा किया गया दौराने विवेचना पीडिता को अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर शारिरीक सम्बन्ध बनाने की बात प्रकाश में आयी जिसपर मुकदमा उपोरक्त में धारा 69 बीएनएस की बढोत्तरी किया गया। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त बेचू राजभर पुत्र घुरबीन राजभर निवासी ग्राम बभनपुरा(तेरही) थाना कप्तानगंज आजमगढ़ के विरूद्ध प्रचलित है। तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवही करते हुए रवाना किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 16.12.2024 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बेचू राजभर पुत्र घुरबीन राजभर निवासी ग्राम बभनपुरा(तेरही) थाना कप्तानगंज आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को जेहरा पिपरी मोड़ के पास से नियमानुसार समय 10.20 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया।

05.थाना जहानागंजः चोरी गये विद्युत मोटर आदि सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध असलहा, कारतूस व नकदी बरामद।

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 06.11.2024 को वादी मुकदमा सागर चौहान पुत्र चन्धर चौहान ग्राम कोढ़वा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दिया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी मुकदमा के ट्यूबवेल से 02 हार्स पावर की मोटर चोरी कर लिया गया है जिसके तहरीर के आधार पर कायमी मु0अ0सं0 576/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 16.12.2024 को उ0नि0 मदन गुप्ता मय हमराह को सूचना मिली कि दो ब्यक्ति जो थाना क्षेत्र मे ग्राम कोढ़वा मे चोरी की हुयी मोटर व थाना क्षेत्र मे अन्य घटना को अंजाम दिये है वह सभी चोरी के मोटर व अन्य सामान के साथ रामरास्ट्रीय पुलिया के पास खड़े है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर दोनो व्यक्तियों को पकड़ ली, पकड़े गये पहले ब्यक्ति ने अपना नाम पिन्टू पुत्र राजेन्द्र राम निवासी टिसौरा थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष जिसके कब्जे से 01 नाजायज देसी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारूतूस 315 बोर, एक पायल सफेद धातु का व 610 रूपया एक बोरे मे एक मोटर बरामद हुआ। तथा दूसरे पकड़े गये ने अपना नाम संदीप यादव पुत्र रामकिशुन यादव निवासी नेतपुर थाना जहानागंज उम्र 25 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज देसी तमंचा 315 बोर व दाहिने जेब से 01 जिन्दा कारूतूस 315 बोर, एक पायल सफेद धातु का व 540 रूपया बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0स0 576/24 धारा धारा 303(2),317(2) बीएनएस, व मु0अ0स0 522/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 562/24 धारा 305A, 331(4) ,317(2) बीएनएस, व मु0अ0स0 402/24 धारा 305A, 331(4) ,317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध का बोध कराकर समय करीब 6.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त 1. पिन्टू पुत्र राजेन्द्र राम निवासी टिसौरा थाना जहानागंज आजमगढ़

मु0अ0स0 576/24 धारा धारा 303(2),317(2) बीएनएस जहानागंज आजमगढ़
मु0अ0स0 522/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस जहानागंज आजमगढ़
मु0अ0स0 562/24 धारा 305A, 331(4) ,317(2) बीएनएस जहानागंज आजमगढ़
मु0अ0स0 402/24 धारा 305A, 331(4) ,317(2) बीएनएस जहानागंज आजमगढ़
मु0अ0सं0 616/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट जहानागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त 1. संदीप यादव पुत्र रामकिशुन यादव निवासी नेतपुर थाना जहानागंज उम्र 25 वर्ष

मु0अ0स0 576/24 धारा धारा 303(2),317(2) बीएनएस,
मु0अ0स0 522/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस व
मु0अ0स0 562/24 धारा 305A, 331(4) ,317(2) बीएनएस, व
मु0अ0स0 402/24 धारा 305A, 331(4) ,317(2) बीएनएस व
मु0अ0सं0 617/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
मु0अ0सं0 303/24 धारा 380,457,411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़